भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ
(India and the United Nations)

गुटनिरपेक्ष देश के रूप में भारत की विदेश नीति का प्रमुख ध्येय अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना करना रहा है। इसके लिए भारत की विदेश नीति की प्रमुख मान्यता यह रही है कि विश्व शान्ति व सुरक्षित विश्व व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभावी भूमिका में ही निहित हो सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना में भारत का विशेष योगदान रहा है। भारत की हमेशा यह कामना रही है कि भावी पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाया जा सके तथा सामाजिक, आर्थिक तथा वैधानिक समानता पर आधारित विश्व व्यवस्था की स्थापना हो। भारत ने विश्व के किसी भी भाग से उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा रंगभेद की नीति को समाप्ति करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में अपना गहरा विश्वास व्यक्त किया है। नेहरु जी ने कहा है-"हम संयुक्त राष्ट्रसंघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते।" संयुक्त राष्ट्र संघ को मानवता की आशा कहा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को ही अपनी विदेश नीति का मूलाधार बनायेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति व उद्देश्य
(Origin and Objectives of the United Nations)

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही लोकतन्त्र के संरक्षक व मानवता के कल्याण चाहने वाले देश एक ऐसे लोकतन्त्र के संरक्षक व मानवता का कल्याण चाहने वाले देश एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय ढांचे के निर्माण पर विचार करने लग गए थे जो विश्व शान्ति स्थापित करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे ओर मानवता को भावी युद्धों की विभीषिका से बचा सके। इस द ष्टि से 24 अक्तूबर, 1945 को 51 देशों ने मिलकर सेनफ्रांसिसको सम्मेलन में विधिवत् रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था की स्थापना की। धीरे-धीरे इस संगठन के महत्व व सदस्य संख्या में व द्धि की गई और आज इसकी सदस्य संख्या 191 है। भारत इस संगठन का संस्थापक देश रहा है और वह बार-बार इसके आदर्शों के प्रति अपनी वचनबद्धता दर्शाता रहा है। इस संगठन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

(i) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखना तथा शान्ति के खतरों से बचने के लिए प्रभावी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था करना।

(ii) सभी राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना।

(iii) राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना।

(iv) सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना।

(v) निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना।

(vi) नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करना।

(vii) मानवाधिकारों की सुरक्षा करना।

(viii) अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त करना।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "भारत अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति, राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखना, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि और सन्धि बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करेगा।" इस तरह भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में सिद्धान्त तौर पर कार्य करने के साथ-साथ व्यवहार में भी कार्यरत् है। संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास और इस विश्व संस्था के साथ सहयोग, भारत की विदेश नीति का प्रमुख स्तम्भ है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका

(India's Role in the United Nations)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध का छिड़ जाना भारत जैसे नव-स्वा धीन देशों के लिए एक गम्भीर चुनौती तथा विश्व शान्ति के लिए भयानक खतरा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को प्राप्त करने के मार्ग में उपनिवेशवाद, रंगभेद की नीति व राष्ट्रों का आर्थिक पिछड़ापन प्रमुख बाधा बनकर उभरी। इसके साथ ही शीत युद्ध की परिस्थितियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को प्राप्त करना और भी अधिक जटिल बना दिया। कुछ देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करनी शुरु कर दी। इस वातावरण में भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन करके आगे उसे एक आन्दोलन का रूप दे दिया ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से गुटनिरपेक्ष व नव-स्वाधीन त तीय विश्व के सभी देश अपनी सम्प्रभुता तथा राष्ट्रीय एकता व अखण्डता की रक्षा कर सकें। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को भारत ने एक ऐसा मंच बना दिया जहां त तीय विश्व के देश सांझी समस्याओं पर विचार कर सकते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से अपनी समस्याओं का निदान कर सकते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में इन गुट निरपेक्ष देशों की संख्या अधिक थी, इसलिए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में गुटनिरपेक्ष देशों की विदेश नीति कुछ हद तक सफल ही रहती थी। यही गुटनिरपेक्षता की नीति आज भारत की विदेश नीति के रूप में जानी जाती है और इसे अपनाने वाला प्रथम देश भारत ही है। यह नीति संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को प्राप्त करना ही अपना ध्येय बनाये हुए है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश के रूप में भारत उसके साथ सक्रिय सहयोग करता रहा है। कई बार भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी रह चुका है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने प्रतिनिधि एवं उच्चकोटि के राजनेता भेजता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के आठवें अधिवेशन में भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने महासभा का कार्य संचालन किया। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध भारतीय न्यायविद् बी०एन० राव तथा डा० नगेन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के ख्याति प्राप्त न्यायधीश रहे हैं। इसके साथ ही भारत आर्थिक व सामाजिक परिषद के साथ भी सहयोग करता रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों व उसकी विशिष्ट ऐजेन्सियों के साथ भी सक्रिय योगदान किया है। भारत के शुरु से ही ये प्रयास रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ सच्चे अर्थों में विश्व की प्रतिनिधि संस्था बने। भारत का यह आग्रह रहा है कि सदस्य राष्ट्रों द्वारा मानवाधिकारों का पूरा पालन किया जाए। वस्तुतः भारत केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता में ही अपनी महती भूमिका नहीं निभा रहाहै बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ से सम्बन्धित सभी संस्थानों के क्रिया-कलापों में भी प्रचूर रूप से भाग लेता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश के रूप